



## Claim Insurance Benefits with ease under

### **Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana**

#### Steps to be taken by the Nominee

- Approach the branch where the Insured was having the Account through which he / she was covered under PMJJBY along with the Death Certificate of the Insured.
- Duly fill in Claim Form & Discharge Receipt in all respects and submit it to the branch along with a copy of the Death Certificate and a copy of the cancelled Cheque Leaf of Nominee's Bank Account (if available) or Nominee Bank Account details.

#### List of Documents required:

1. Claim Form duly completed
2. Discharge Receipt
3. Death Certificate
4. Copy of the Cancelled Cheque Leaf (if available)

On receipt of the Claim Form and the required documents as mentioned above, Bank will forward the same to Insurance Company for Claim settlement within 30 days from the date of receipt of claim. Insurance Company shall complete claim settlement process within 30 days after receipt of claim from the bank.

Claim Form and Discharge Voucher / Receipt are available at all our branches. Claim Form and Discharge Voucher / Receipt can also be downloaded from our website [www.canarabank.com](http://www.canarabank.com) and also from [www.jansuraksha.gov.in](http://www.jansuraksha.gov.in)



## बीमा लाभ का दावा आसान

### **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना**

#### नामिती द्वारा उठाए जाने वाले कदम

- बीमित व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ उस शाखा से संपर्क करें जहाँ बीमित व्यक्ति का खाता था जिसके द्वारा वह पीएमजेबीवाई के तहत कवर किया गया था / थी ।
- दावा प्रपत्र व भुगतान रसीद संपूर्ण रूप से भरें तथा इन्हें मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति व नामिती के बैंक खाते से संबंधित निरस्त चेक की प्रति (यदि उपलब्ध हो) या नामिती के बैंक विवरणों के साथ जमा कराएं

#### आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

1. संपूर्ण रूप से भरा हुआ दावा प्रपत्र
2. भुगतान रसीद
3. मृत्यु प्रमाणपत्र
4. निरस्त चेक की प्रति (यदि उपलब्ध हो)

उपरोक्त वर्णित के अनुसार दावा प्रपत्र की प्राप्ति पर बैंक द्वारा उसे बीमा कंपनी को प्रेषित किया जाएगा ताकि दावा प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर दावे का निपटारा किया जा सके । बीमा कंपनी बैंक से दावा प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर दावे के निपटार की प्रक्रिया पूरी करेगी ।

दावा प्रपत्र व भुगतान वाउचर / रसीद हमारी सभी शाखाओं पर उपलब्ध है । दावा प्रपत्र व भुगतान वाउचर / रसीद हमारे वेबसाइट [canarabank.com](http://canarabank.com) तथा [www.jansuraksha.gov.in](http://www.jansuraksha.gov.in) से भी डाउनलोड कर सकते हैं ।

## Claim Insurance Benefits with ease under

### Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana

#### Steps to be taken by the Insured / Nominee:

- Approach the branch where the Insured was having the Account through which he / she was covered under PMSBY along with the documents as mentioned below:

On Death of the Insured	For Disability claim by the Insured
Original FIR / Panchnama	Original FIR / Panchnama
Post Mortem Report	Disability Certificate issued by a Civil Surgeon
Death Certificate	

- Duly fill in the Claim Form & Discharge Receipt and submit it to the branch along with the above mentioned documents, preferably within 30 days from the date of occurrence of the accident giving rise to the claim under the policy.

On receipt of the Claim Form and the required documents as mentioned above, Bank will forward the same to Insurance Company for Claim settlement within 30 days from the date of receipt of claim. Insurance Company shall complete claim settlement process within 30 days after receipt of claim from the bank.

Claim Form and Discharge Voucher / Receipt are available at all our branches. Claim Form and Discharge Voucher / Receipt can also be downloaded from our website [www.canarabank.com](http://www.canarabank.com) and also from [www.jansuraksha.gov.in](http://www.jansuraksha.gov.in)

## बीमा लाभ का दावा आसान

### प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

#### बीमित / नामिति द्वारा उठाए जाने वाले कदम

- नीचे वर्णित दस्तावेजों के साथ उस शाखा से संपर्क करें जहाँ बीमित व्यक्ति का खाता था जिसके द्वारा वह पीएमएसबीवाई के तहत कवर किया गया था / थी।

बीमित की मृत्यु पर	बीमित द्वारा विकलांगता दावा
मूल एफआईआर / पंचनामा	मूल एफआईआर / पंचनामा
पोस्टमार्टम रिपोर्ट	सिविल सर्जन द्वारा विकलांगता प्रमाणपत्र
मृत्यु प्रमाणपत्र	

- पॉलिसी के तहत दुर्घटना के दावे हेतु उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों के साथ पूरी तरह भरे गए दावा प्रपत्र व भुगतान रसीद शाखा में 30 दिनों के भीतर जमा करें।

उपरोक्त वर्णित के अनुसार दावा प्रपत्र की प्राप्ति पर बैंक द्वारा उसे बीमा कंपनी को प्रेषित किया जाएगा ताकि दावा प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर दावे का निपटान किया जा सके। बीमा कंपनी बैंक से दावा प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर दावे के निपटान की प्रक्रिया पूरी करेगी।

दावा प्रपत्र व भुगतान वाउचर / रसीद हमारी सभी शाखाओं पर उपलब्ध है। दावा प्रपत्र व भुगतान वाउचर / रसीद हमारे वेबसाइट [canarabank.com](http://canarabank.com) तथा [www.jansuraksha.gov.in](http://www.jansuraksha.gov.in) से भी डाउनलोड कर सकते हैं।